न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 248/2012 **दायरा दिनांक : 25.07.2012**

उनवान

1– फूलचन्द पुत्र रामनाथ, जाति धाकड, निवासी धाकडो की टेक सीसवाली, तहसील मांगरोल, जिला बारां

2– जगदीश पुत्र रामनाथ, जाति धाकड, निवासी धाकडो की टेक सीसवाली, तहसील मांगरोल, जिला बारां

3– प्रकाश चन्द पुत्र रामनाथ, जाति धाकड, निवासी धाकडो की टेक सीसवाली, तहसील मांगरोल, जिला बारां

4– लाडबाई पुत्री रामनाथ, जाति धाकड, निवासी धाकडो की टेक सीसवाली, तहसील मांगरोल, जिला बारां

5– संतोष बाई पुत्री रामनाथ, जाति धाकड, निवासी धाकडो की टेक सीसवाली, तहसील मांगरोल, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1– रामकल्याण नागर पुत्र मथुरा लाल धाकड, निवासी सीसवाली हाल निवासी पुलिस चौकी के पास छावनी, कोटा

2– प्रभू लाल पुत्र श्रीकिशन, जाति धाकड

3– बंशीलाल पुत्र श्रीकिशन, जाति धाकड, निवासी सीसवाली

4– गंगाबाई बेवा श्रीकिशन, जाति धाकड, निवासी सीसवाली

5– मुरलीधर दत्तक पुत्र किशनलाल, जाति धाकड, निवासी सीसवाली

6– छीतरलाल पुत्र नारायण, जाति धाकड, निवासी नयागांव गुलाबपुरा

7— परसराम पुत्र नारायण, जाति धाकड, निवासी नयागांव गुलाबपुरा

8— पन्ना लाल पुत्र मांगी लाल, जाति धाकड, निवासी भूराजेडा, तहसील अन्ता

9— बंशीधर पुत्र लक्ष्मीनारायण, जाति धाकड, निवासी मण्डोला,

10— केशरीलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण, जाति धाकड, निवासी मण्डोला

11— लटूरी बाई बेवा चिन्ताराम, जाति धाकड, निवासी खैराली

12— बिरधी बाई पत्नी नाथूलाल, जाति धाकड, निवासी संबलपुर

13— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 249/2012 **दायरा दिनांक : 25.07.2012**

उनवान

1— फूलचन्द पुत्र रामनाथ, जाति धाकड, निवासी धाकडो की टेक सीसवाली, तहसील मांगरोल, जिला बारां

2— जगदीश पुत्र रामनाथ, जाति धाकड, निवासी धाकडो की टेक सीसवाली, तहसील मांगरोल, जिला बारां

3— प्रकाश चन्द पुत्र रामनाथ, जाति धाकड, निवासी धाकडो की टेक सीसवाली, तहसील मांगरोल, जिला बारां

4— लाडबाई पुत्री रामनाथ, जाति धाकड, निवासी धाकडो की टेक सीसवाली, तहसील मांगरोल, जिला बारां

5— संतोष बाई पुत्री रामनाथ, जाति धाकड, निवासी धाकडो की टेक सीसवाली, तहसील मांगरोल, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1— रामकल्याण नागर पुत्र मथुरा लाल धाकड, निवासी सीसवाली हाल निवासी पुलिस चौकी के पास छावनी, कोटा

2— प्रभू लाल पुत्र श्रीकिशन, जाति धाकड

3— बंशीलाललाल पुत्र श्रीकिशन, जाति धाकड, निवासी सीसवाली

4— गंगाबाई बेवा श्रीकिशन, जाति धाकड, निवासी सीसवाली

5— मुरलीधर दत्तक पुत्र किशनलाल, जाति धाकड, निवासी सीसवाली

6— छीतरलाल पुत्र नारायण, जाति धाकड, निवासी नयागांव गुलाबपुरा

7— परसराम पुत्र नारायण, जाति धाकड, निवासी नयागांव गुलाबपुरा

8— पन्ना लाल पुत्र मांगी लाल, जाति धाकड, निवासी भूराजेडा, तहसील अन्ता

9— बंशीधर पुत्र लक्ष्मीनारायण, जाति धाकड, निवासी मण्डोला,

10— केशरीलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण, जाति धाकड, निवासी मण्डोला

11— लटूरबाई बेवा चिन्ताराम, जाति धाकड, निवासी खैराली

12— बिरधी बाई पत्नी नाथूलाल, जाति धाकड, निवासी संबलपुर

13— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित श्री ओ पी मेहता अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री अब्दुल गफार खान अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 14.02.2018**

1— ये दोनों अपीलें समान पक्षकारों के मध्य एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

2– ये दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, छबडा के प्रकरण संख्या – 274/97 निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 31.03.2001 एवं निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 06.05.2005 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

3– अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट नम्बर 1 रामकल्याण ने अपीलांटगण एवं अन्य के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 53 व 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम सीसवाली ग्राम मांगरोल में खतौनी संख्या नयी 606 पुरानी 444 के अनुसार 21 किता की 69 बीघा 2 बिस्वा आराजी स्थित है । यह आराजी श्रीकिशन, बिशनलाल, रामनाथ, रामकल्याण पुत्रीगण मथुरालाल, रामनाथी, कस्तूरी बेटी मथुरा हिस्सा बराबर दर्ज है । खातेदारान रामनाथ, कस्तूरी का स्वर्गवास हो चुका है उन्होंने अपने जीवनकाल में आराजियात में अपना हिस्सा अपने भाई के पक्ष में तर्क किया था । खातेदार नारायण और गजानन्द का स्वर्गवास हो चुका है उन्होंने शेष खातेदारान के पक्ष में अपना 1/2 हिस्सा तर्क कर दिया था । इसके बदले में ग्राम गोदियापुरा जिला बारां में पारिवारिक आराजी प्राप्त कर ली थी । उक्त कारण से श्रीकिशन, बिशनलाल, रामनाथ एवं रामकल्याण इसमें 1/4 हिस्से के खातेदार हो गये । मौके पर इसी अनुसार पक्षकारों का कब्जा है । इसके अनुसार वादी के हिस्से में जो आराजी आयी है उस पर 1960 से वो काबिज काश्त हे । तद्नुसार दावा वादी स्वीकार कर आराजी का विभाजन किया जाये और मद संख्या 5 में दर्ज आराजी को वादी के खाते में पृथक से दर्ज किया जाये । अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 25.10.99 को दावा वादी खारिज किया है जिसके खिलाफ अपील पेश होने पर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 09.05.2000 को प्रकरण रिमाण्ड किया गया इसके उपरान्त दिनांक 31.03.2001 को दावा वादी बरूवे

राजीनामा स्वीकार किया जाकर प्रारम्भिक डिक्री जारी की गयी और दिनांक 06.05.2005 को बंटवारा प्रस्ताव के अनुसार विभाजन की अंतिम डिक्री जारी की गई, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

4— अपील संख्या 249/2012 प्रारम्भिक डिक्री के खिलाफ पेश की गई है और कथन किया गया है कि अपीलांटगण के पिता रामनाथ का देहान्त सन् 1999 से पूर्व हो चुका है, मरे हुए व्यक्ति के खिलाफ डिक्री पारित की गई है सिर्फ वादी का 1/4 हिस्सा पृथक किया है, शेष का 3/4 हिस्सा संयुक्त खाते में रखा है । मृतक मथुरालाल की पुत्री रामनाथी और कस्तूरी बाई को पक्षकार नहीं बनाया गया है । कानूनी बिन्दुओं पर गौर नहीं किया गया है । वाद निरस्त होने योग्य था । 1999 का आदेश अंतिम था । सन् 2001 को प्रारम्भिक डिक्री जारी कर भूल की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

5— अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 12.06.2012 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील संख्या 248/2012 अंतिम डिक्री के खिलाफ पेश की गई है और कथन किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेकार्ड पर उपलबध साक्ष्य पर गौर नहीं किया है । कानूनी बिन्दुओं पर गौर नहीं किया है । अपीलांट के पिता रामनाथ का देहान्त सन् 1999 से पूर्व हो चुका था फिर भी मरे हुए व्यक्ति के खिलाफ डिक्री पारित की गई है । पूर्व में दिनांक 25.10.299 को सहायक कलेक्टर, बारां ने दावा

खारिज किया था जिसमें अपीलांटगण के पिता को मृतक बताया गया है । वादीगण का 1/4 हिस्सा निहित नहीं था । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

6— अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 12.06.2012 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

7— दोनों अपीलें प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

8— विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि सिर्फ वादी का 1/4 हिस्सा पृथक किया है । रामनाथ की मृत्यु सन् 1999 से पूर्व हो चुकी है । मरे हुए व्यक्ति के खिलाफ डिक्री पारित की है । श्रीकिशन के कायम मुकामान को पक्षकार नहीं बनाया है । सुनवायी का अवसर नहीं दिया है । अतः दोनों अपीले स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

9— विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि राजीनामे के आधार पर निर्णय पारित किया गया है जो विधि सम्मत है । दोनों अपीले सारहीन होने से खारिज की जाये ।

10— हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर धारा 80 सी पी सी का नोटिस की प्रति, नकल जमाबंदी सम्वत 2030—35 नया खाता संख्या 606 पुराना 444, नकल जमाबंदी सम्वत 2030—33 नया खाता संख्या 605 पुराना 436 सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी, मांगरोल के निर्णय दिनांक 8. 5.96 की प्रमाणित प्रति, नकल जमाबंदी सम्वत 2044—63 खाता संख्या नया 741, नकल जमाबंदी सम्वत 2044—63 खाता संख्या नया 742 पुराना खाता संख्या 749 संलग्न है ।

11— पत्रावली पर दिनांक 7.7.2000 को पक्षकारान के द्वारा पेश किया गया राजीनामा सलंग्न है । इस राजीनामे को न्यायालय द्वारा तस्दीक नहीं किया गया है । यह राजीनामा दावे के समस्त पक्षकारान के द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है वरन वादी रामकरण प्रतिवादी नम्बर 8 पन्ना लाल, प्रतिवादी नम्बर 10 केसरी लाल, और प्रतिवादी नम्बर 12 बिरधी बाई के द्वारा हस्ताक्षरित है । शेष पक्षकारों के इसमें हस्ताक्षर नहीं है । अधीनस्थ नयायालय ने इस राजीनामे के आधार पर अपना निर्णय दिनांक 31.03.2001 को पारित करते हुए दावा डिक्री किया है । सी पी सी के प्रावधानों के अनुसार यदि न्यायालय में कोई राजीनामा पेश होता है तो वह समस्त पक्षकारों के द्वारा हस्ताक्षरित होना अनिवार्य होता है । न्यायालय के द्वारा उसे तस्दीक किया जाना भी अनिवार्य होता है और यह देखा जाना भी आवश्यक होता है कि वह राजीनामा विधि अनुसार है अथवा नहीं । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय ने अपूर्ण और बिना तस्दीकशुदा राजीनामे के आधार पर जो प्रारम्भिक डिक्री जारी की है वह त्रुटिपूर्ण है एवं खारिज होने योग्य है । प्रारम्भिक डिक्री के आधार पर जारी की गई अंतिम डिक्री भी त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है । यहां यह भी उल्लेखनीय है कि निर्णय दिनांक 31.03.2001 को रामनाथ को पक्षकार बताया गया है जबकि अधीनस्थ नयायालय की पत्रावली पर दिनांक 8.01.99 की एक दरख्वास्त लगी हुई है जिसमें यह कथन किया गया है कि रामनाथ की

मृत्यु हो चुकी है जिनके 3 पुत्र जीवित है जो उनके वारिस है जिनको पक्षकार बनाया जाये परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने रामनाथ के कायम मुकामान को रेकार्ड पर नहीं लिया है और मृतक रामनाथ के खिलाफ प्रारम्भिक डिक्री और अंतिम डिक्री जारी की है जो त्रुटिपूर्ण है ।

12— दोनों प्रकरणों में ही मृतक रामनाथ के खिलाफ प्रारम्भिक और अंतिम डिक्री जारी की गई है और प्रारम्भिक और अंतिम डिक्री जारी करने से पूर्व पेश किये गये राजीनामे का विधिक रूप से परीक्षण नहीं किया गया है । राजीनामा विधिक प्रावधानों के विपरीत है । इन तथ्यों के आधार पर दोनों अपीलों में पेश की गई धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को न्यायहित में स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

13— उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपीलें अपील संख्या 249/2012 एवं 248/2012 अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्रारिम्भक डिक्री दिनांक 31.03.2001 एवं निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 06.05.2005 अपास्त किये जाते हैं । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पैरा संख्या 11 व 12 में किये गये विवेचन के अनुसार राजीनामा विधिक प्रावधानों के विपरीत होने के कारण पक्षकारान को नये सिरे से सुनवायी का अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत रूप से प्रारम्भिक डिक्री जारी करें और प्रारम्भिक डिक्री की अनुपालना में राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना में तहसील से बंटवारा रिपोर्ट प्राप्त कर बंटवारा रिपोर्ट पर उभयपक्षकारान को आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से अंतिम डिक्री जारी करें । पक्षकारान को पाबन्द किया

जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 25.04.2018 को उपस्थित होवें ।

14– निर्णय आज दिनांक 14.02.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा